



2026:AHC:23821

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 1583 /2026

असफ़ा जाफ़री

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	अलोक कुमार श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।

2. रिट-याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 06.03.1995 को उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था। रिट-याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उसे 21.02.2007 के शासनादेश के अनुसार लाभ प्रदान किए गए थे, जिसके तहत 12 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वह 2400/- रुपये के ग्रेड पे और 4000-100-6000/- रुपये के वेतनमान में उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत होने का हकदार था। याचिकाकर्ता को 05.03.2008 को पदोन्नत किया गया और उसे उक्त वेतनमान प्रदान किया गया। इसके पश्चात्, 30.11.2011 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 2800/- रुपये का ग्रेड पे देने का लाभ दिया गया। रिट-याचिकाकर्ता के अनुसार, यद्यपि उसे ये लाभ मिल रहे थे, लेकिन 20.01.2026 को जिला विकास अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा एक आदेश पारित कर यह लाभ वापस ले लिया गया। रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त लाभ अब याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में और उसे कोई नोटिस दिए बिना छीन लिए गए हैं। दलील यह है कि यह मामला धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का नहीं था।

3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि नियोक्ता के लिए उन त्रुटियों को सुधारने का विकल्प हमेशा खुला रहता है जो अनजाने में हो गई हों। हालांकि, उनके अनुसार, आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को कोई नोटिस दिया गया था।

4. मैंने न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

5. स्पष्ट रूप से, तृतीय प्रतिवादी जिला विकास अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2026 याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ व अन्य (1994) 6 एससीसी 154 के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:—

"3. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190/- रुपये प्रति माह निर्धारित था। अपीलकर्ता के मूल वेतन को 1991 में घटाकर 181/- रुपये कर दिया गया, वह भी वर्ष 1970 से पिछली तिथि से। अपीलकर्ता पर स्पष्ट रूप से इसके दीवानी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



परिणाम पड़े हैं, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कटौती के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया। उसे विभाग द्वारा वेतन घटाने से पहले नोटिस तक नहीं दिया गया और आदेश कानून द्वारा निर्धारित किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना उसकी अनुपस्थिति में पारित कर दिया गया। इस प्रकार, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है और अपीलकर्ता को बिना सुने ही भारी वित्तीय नुकसान सहना पड़ा है। न्यायसंगत कार्यप्रणाली यह मांग करती है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिससे कर्मचारी को दीवानी परिणाम भुगतने पड़ें, संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिए बिना और उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए दिनांक 25.07.1991 का वह आदेश (मेमोरैंडम), जिसे ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से टिकने योग्य नहीं था और केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करने में भूल की है। ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के दिनांक 17.09.1993 के आदेश के साथ-साथ ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौतीपूर्ण आदेश दिनांक 25.07.1991 को भी रद्द करते हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से 190/- रुपये से घटाकर 181/- रुपये किया गया था।"

6. समग्र परिस्थितियों और संबंधित पक्षों के रुख को देखते हुए, यह न्यायालय आगे विस्तार में जाए बिना रिट याचिका को निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारित कर रहा है:—

(ए) जिला विकास अधिकारी, कानपुर नगर (तृतीय प्रतिवादी) द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2026 को रद्द किया जाता है; (बी) रिट-याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ **20.02.2026** तक एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा; (सी) उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, जिला विकास अधिकारी, कानपुर नगर, दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से एक नया आदेश पारित करेंगे।

7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

4 फरवरी, 2026

राजेश

(विकास बुधवार, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"